

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 815] No. 815] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2017/आश्विन 12, 1939 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2017/ASVINA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2017

सं 37/2017-केन्दीय कर

सा.का.नि. 1218(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 848(अ), तारीख 7 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 7 जुलाई, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है—

- (i) ऐसे मामलो में, जहां अपवंचित कर की रकम दौ सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, तथा जिन्हें केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;
- (ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के

6061 GI/2017 (1)

उपाबंध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;

- (iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट देय कर और ब्याज का भुगतान उक्त उपनियम के उपवाक्य (क) अथवा (ख) में उल्लिखित अविध में जमा नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह वापस ले ली गई है और यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह बहाल हो जाएगी।
- 2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागृ होंगे।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी(पी.टी) खंड-II]

रोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2017

No. 37 /2017-Central Tax

- **G.S.R. 1218(E).**—In exercise of the powers conferred by section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, sub-rule (5) of rule 96A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, and in supersession of notification No. 16/2017-Central Tax, dated the 7th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 848(E), dated the 7th July, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond by a registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax—
 - (i) all registered persons who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except those who have been prosecuted for any offence under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;
 - (ii) the Letter of Undertaking shall be furnished on the letter head of the registered person, in duplicate, for a financial year in the annexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor;
 - (iii) where the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Central Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period

mentioned in clause (a) or clause (b) of the said sub-rule, the facility of export without payment of integrated tax will be deemed to have been withdrawn and if the amount mentioned in the said sub-rule is paid, the facility of export without payment of integrated tax shall be restored.

2. The provisions of this notification shall *mutatis mutandis* apply in respect of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person (including a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit) to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.) Vol.-II]

ROHAN, Under Secy.